न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2020/00011 दायर दिनांक 19.02.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

लालचन्द प्रजापत पुत्र श्यामलाल प्रजापत, मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार, सात्यु बस स्टेण्ड, तारानगर जिला चूरू।
–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. श्री संजीव कुमार वर्मा, अधिवक्ता वास्ते गैरसायल।

निर्णय दिनांक 25.08.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मैं नागरमल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2019 को 04.30 पी.एम. पर मै० बालाजी मिष्ठान भण्डार, सात्यु बस स्टेण्ड, तारानगर जिला चूरू की दुकान पर पहुंचा। दुकान में 1 ट्रे में करिबन 6 किगा **मावा की बर्फी** बेचनें हेतु पायी गयी मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री लालचन्द प्रजापत से पुछने पर बताया कि **मावा की बर्फी** बनाकर ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूँ।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री लालचन्द प्रजापत को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
4. एक ट्रे में करिबन 6 किगा मावा की बर्फी थी उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 कि.गा. मावा की बर्फी एक ट्रे में वास्तें नमूना जांच खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री लालचन्द प्रजापत को 560/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह चुन्नीलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा मावा की बर्फी को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि बोतलों को दिखाकर उक्त खरीद शुदा मावा की बर्फी को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टिक बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाइड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी. ओ के कोड एवं कमांक एल–2283 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2283 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर मालिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

के हस्ताक्षर नियमानुस इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। चारा नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित क गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं चान नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रति जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र कमांक– 512 दिनांक 04.12.2019 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 2707 / एक्ट / 2019 / 2241 दिनांक 22.11.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खादय पदार्थ मावा की बर्फी सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/17 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
9. यह कि उक्त प्रकरण में लालचन्द प्रजापत ने सबस्टैण्डर्ड, मावा की बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत हैं।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव कुमार वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता और से दिनांक 22.03.2021 को जवाब पेश किया गया व दिनांक 18.04.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान गवाह एवं दिनांक 02.06.2022 को जिरह करवाई गई।

गैरसायल अधिवक्ता की ओर से दिनांक 04.07.2022 को लिखित बहस पेश की। गैरसायल अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में दौहराते हुए कहा कि न्यायनिर्णयन आवेदन की मद संख्या 1 में किये गये गलत है पत्रावली में नोटिफिकेशन व आदेश की फोटो प्रति पेश है इस कारण से नागरमल खाद्य सुरक्षा अधिकारी हो कानूनन माने जाने योग्य नहीं होने से उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है परिवादी ने एफएसएस एक्ट की योग्यता सम्बन्धी कोई दस्तावेज न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी कब से कब तक कार्य करने के लिए अधिकृत था पत्रावली में कोई दस्तावेज पेश नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेगुनाह व्यक्ति के विरूध जो कार्यवाही की गयी है गलत होने से माने जाने योग्य नही है ना तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कानून की प्रक्रिया को अपनाते हुए नमूना लिया है ना ही अभियुक्त को उक्त नमूने की जांच रिर्पोट भेजी गई जिस कारण से अभियुक्त के बहुमुल्य अधिकार समाप्त हो गये है तथा नमूने की सही जांच नही हो सकी है कुछ समय के पश्चात बोतल के अन्दर मावा की बर्फी खराब हो जाती है तथा अभियोजन स्वीकृति भी माईन्ड अप्लाई किये बिना दी गई। है। जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं होने से अभियोजन स्वीकृति माने जाने योग्य नहीं है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध समस्त कार्यवाही गलत की हैं तथा अधिनियम की धारा व नियमों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

परिवाद सं. 2020/00011
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम लालचंद प्रजापत

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **मावा की बर्फी** सबस्टैण्डर्ड, का सेम्पल नं. एल–2283 रिपोर्ट संख्या एल.एस./2707/एक्ट/2019/2241 दिनांक 22.11.2019 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** पाया गया है जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ एवं गैरसायल अधिवक्ता को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **मावा की बर्फी** सबस्टैण्डर्ड की रिपोर्ट संख्या एल.एस./2707/एक्ट/2019/2241 दिनांक 22.11.2019 से सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ **मावा की बर्फी** सबस्टैण्डर्ड, बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल लालचन्द प्रजापत पुत्र श्यामलाल प्रजापत, मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार, सात्यु बस स्टेण्ड, तारानगर जिला चूरू को 4,00,000/– रूपये (चार लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान् को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू